

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 09, बुधवार, शाके 1948- अप्रेल 29, 2026 Vaisakha 09, Wednesday, Saka 1948- April 29, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा
अधिसूचनाएं।

कार्मिक विभाग

क-2

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 24, 2026

एस.ओ. 11 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय (रा.आ.आ.अ.नि.), राजस्थान में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन की प्रक्रिया और सेवा की विशेष शर्तें अधिकथित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विस्तार और लागू होना.- ये नियम राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय (रा.आ.आ.अ.नि.), राजस्थान में व्यक्तियों की नियुक्ति पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं.- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-

- (क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से सरकार का वित्त विभाग या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे सरकार द्वारा यह शक्ति किसी शर्त के साथ या उसके बिना प्रत्यायोजित की जाये, अभिप्रेत है;
- (ख) “समिति” से नियम 10 में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;
- (ग) “महानिदेशक” से राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय, राजस्थान का महानिदेशक अभिप्रेत है;
- (घ) “सरकार” से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
- (ङ) “सेवा अभिलेख” से वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन/वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन, जहां ऐसा अभिलेख रखा जाना विहित है और अन्य सुसंगत सेवा अभिलेख अभिप्रेत है;
- (च) “राज्य” से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

- (छ) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और
(ज) “वर्ष” से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

4. **निर्वचन.-** जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

5. **गठन, स्वरूप और पदों की संख्या.-** (1) अनुसूची-I में यथाविनिर्दिष्ट पदों के तीन प्रवर्ग होंगे जो सेवावधि के आधार पर धारित किये जाने हैं या जो सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें।
(2) प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या उतनी होगी जैसी अनुसूची- I में यथाविनिर्दिष्ट हो:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी पद को खाली या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

6. **रिक्तियों का अवधारण.-** नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, आगामी बारह मास या जब कभी भी ऐसी आकस्मिकता पैदा हो, के दौरान प्रत्येक प्रवर्ग में भरी जाने के लिए प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

7. **सेवावधि.-** (1) अनुसूची-I में प्रगणित पद किसी अधिकारी द्वारा सामान्यतः तीन वर्ष से अनधिक की सेवावधि के लिए धारित किये जायेंगे जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक बार में एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकेगा, किन्तु किसी भी दशा में कुल सेवावधि पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी।
(2) अनुसूची-I में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर समस्त नियुक्तियां प्रथम बार मूल विभाग/सेवा से अस्थायी स्थानांतरण पर या प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की कालावधि के लिए की जायेंगी जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर उपदर्शित कालावधि के लिए, इस शर्त के अधीन कि ऐसा विस्तार उसके मूल विभाग की सेवा की शर्तों के अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे का नहीं होगा, बढ़ाया जा सकेगा। इस प्रकार नियुक्त अधिकारी को दो वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने से पूर्व मूल संवर्ग में प्रतिवर्तित या किसी अन्य पद पर जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। तथापि, महानिदेशक, इन नियमों के अधीन इस प्रकार नियुक्त किसी अधिकारी/कर्मचारी की ऐसी सेवावधि की कालावधि को पूर्ण करने से पूर्व, कोई कारण समनुदेशित किये बिना, वित्त विभाग के प्रभारी सचिव के अनुमोदन से, प्रतिवर्तित करने का अधिकार आरक्षित रखता है।
(3) मूल विभाग में प्रतिवर्तन या स्थानांतरण के मामले में, इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति को, राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में के किसी पद पर विशेष भत्ते के या उसके द्वारा धारित प्रास्थिति के, जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, संरक्षण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा :

परन्तु कोई व्यक्ति अपने मूल विभाग की सेवा शर्तों के अनुसार, अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकेगा या सेवानिवृत्ति की मांग कर सकेगा जो, उसे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन साधारणतः अनुज्ञेय से भिन्न कोई अधिकार, प्रदान नहीं करेगा।

8. **चयन का स्रोत.-** (1) अनुसूची- I के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन, संबंधित विभाग से स्थानांतरण पर, समझा जायेगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् अनुसूची- I के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन, समिति की सिफारिश पर अनुसूची- I के स्तम्भ 4 में उल्लिखित और उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में

यथाविनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स में के वेतन लेवल में वेतन आहरित करने वाले तथा पद पर धारणाधिकार रखने वाले या राजस्थान सरकार के मूल विभाग के अधीन किसी पद पर, नियमित आधार पर नियुक्त किये गये सेवा के सदस्यों में से किया जायेगा।

9. चयन के लिए पात्रता.- केवल ऐसे व्यक्ति विभिन्न पदों के लिए विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे जो उस वर्ष, जिसमें उन पर विचार किया जाये, के अप्रैल मास की पहली तारीख को अनुसूची- I में अधिकथित शर्तें पूर्ण करते हों।

10. चयन समिति.- अनुसूची- I में प्रगणित पदों पर चयन निम्नलिखित से गठित समिति की सिफारिश पर किया जायेगा, अर्थात् :-

क्र.सं.	पदनाम	समिति के पद
1.	वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव।	अध्यक्ष
2.	संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।	सदस्य
3.	कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो उप सचिव से नीचे की रैंक का ना हो।	सदस्य
4.	शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।	सदस्य
5.	महानिदेशक, राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय।	सदस्य-सचिव

11. चयन के लिए कसौटी.- समिति द्वारा चयन व्यक्तित्व, चरित्र, सत्यनिष्ठा, सेवा के पूर्व अभिलेख, सर्तकता, राजस्व संग्रहण और राजस्व लीकेज के निवारण में पूर्व अनुभव या चयन के किसी अन्य मापदण्ड, जो समिति आवश्यक समझे, को ध्यान में रखते हुए किसी साक्षात्कार के पश्चात् किया जायेगा।

12. चयन के लिए प्रक्रिया.- (1) ज्योंही यह विनिश्चित किया जाये कि अनुसूची- I के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रिक्त पदों की कतिपय संख्या को, अनुसूची- I के स्तम्भ 4 में उल्लिखित सेवा के सदस्यों में से भरने के लिए चयन किया जाना है त्योंही, महानिदेशक या ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे वह इस प्रयोजन के लिए निदिष्ट करें, समस्त संबंधित विभागों को, समस्त पात्र व्यक्तियों में से किसी विनिर्दिष्ट तारीख तक आवेदन आमंत्रित करने के लिए, परिपत्र भेजेगा। संबंधित विभागों द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, जो इन नियमों के उपबंधों के अधीन अनुसूची- I के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पद पर चयन के लिए पात्र हैं, सिफारिशों के साथ ऐसे व्यक्तियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन/वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन डोजियर और अन्य सेवा अभिलेख, महानिदेशक को अग्रेषित किये जायेंगे।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन सिफारिशों के प्राप्त होने पर, महानिदेशक या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी समस्त पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे उन अभ्यर्थियों, जिनके नाम सूची में सम्मिलित हैं, के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन डोजियरों और अन्य सेवा अभिलेख के साथ, समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति, भरी जाने वाली संभाव्य रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन, उनकी योग्यता क्रम के अनुसार करेगी और उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट करने वाली एक सूची तैयार करेगी :

परन्तु समिति, यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हों, आरक्षित सूची में अधिक अभ्यर्थियों के नाम रख सकेगी जिनकी संख्या अवधारित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा यदि ऐसी रिक्तियां वस्तुतः चयन की तारीख से छः मास के भीतर-भीतर हुई हों।

(4) उपर्युक्त उप-नियम (3) के अधीन चयन समिति द्वारा तैयार की गयी सूची, सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों और उनके भी जिनका चयन नहीं किया गया, यदि कोई हों, के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों और अन्य सेवा अभिलेख के साथ नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेगी।

13. सेवावधि पदस्थापन के लिए आदेश.- अनुसूची- I के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पद पर सेवावधि पदस्थापन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त नियम 12 के उप-नियम (3) के अधीन योग्यता क्रम में तैयार की गयी सूची में सम्मिलित व्यक्तियों में से किया जायेगा।

14. वेतन और अन्य शर्तें.- (1) अनुसूची- I के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पद पर नियुक्त व्यक्ति को अनुज्ञेय वेतनमान और प्रारंभिक वेतन और मूल संवर्ग में पदोन्नति पर वेतन में वृद्धि से संबंधित अन्य शर्तें और सेवानिवृत्ति फायदे अनुसूची- II में यथा अधिकथित होंगे और ऐसे होंगे, जो सरकार द्वारा वित्त विभाग की सहमति से, समय-समय पर मंजूर किये जायें।

(2) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूची- I के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पद पर सेवा की अन्य शर्तें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये, और तत्समय प्रवृत्त, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू, अन्य नियमों द्वारा, विनियमित की जायेंगी।

15. असाधारण रूप से योग्य व्यक्तियों को सम्मिलित करना.- इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समिति, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिए, असाधारण रूप से योग्य के मामलों में, राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय, राजस्थान में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को सम्मिलित करने का प्रस्ताव कर सकेगी।

16. शंकाओं का निराकरण.- यदि इन नियमों को लागू करने, उनके निर्वचन और उनकी व्याप्ति से संबंधित कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसे सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

17. निरसन और व्यावृत्ति.- राजस्थान सिविल सेवा (राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2010 और इन नियमों और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों से संबंधित जारी किये गये समस्त आदेश, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों या आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के उपबंधों के अधीन, जहां तक वह इन नियमों के उपबंधों से असंगत ना हो, की गयी समझी जायेगी।

अनुसूची- I
(नियम 8, 10, 12 और 13 देखें)

क्र.सं.	पद का नाम	पद की संख्या एवं वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन लेवल	पात्रता	न्यूनतम अनुभव
1	2	3	4	5
राज्य सेवा				
1	अपर निदेशक	4 (एल-20, 21)	राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए एक पद राजस्थान पुलिस सेवा के लिए एक पद राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा (आरसीटीएस) के लिए एक पद अन्य राज्य सेवाओं के लिए एक पद	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
2.	संयुक्त निदेशक सह राजस्व आसूचना अधिकारी	10 (एल-15 से एल-19)	राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए एक पद राजस्थान पुलिस सेवा के लिए एक पद राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा (आरसीटीएस) के लिए एक पद राजस्थान आबकारी सेवा के लिए एक पद राजस्थान खान अभियंता सेवा के लिए एक पद राजस्थान लेखा सेवा के लिए एक पद राजस्थान सहकारी सेवा के लिए एक पद अन्य राज्य सेवाओं के लिए एक पद राजस्व, बैंकिंग एवं बीमा सेवाओं के अधिकारियों के लिए दो पद	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
			राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए दो पद राजस्थान पुलिस सेवा के लिए	

3.	उप निदेशक सह राजस्व आसूचना अधिकारी	20 (एल-11 से एल-14)	दो पद	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
			राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा (आरसीटीएस) के लिए दो पद	
			राजस्थान आबकारी सेवा के लिए दो पद	
			राजस्थान खान अभियंता सेवा के लिए दो पद	
			राजस्थान लेखा सेवा के लिए दो पद	
			राजस्थान परिवहन सेवा के लिए दो पद	
			राजस्थान सहकारी सेवा के लिए दो पद	
			अन्य राज्य सेवाओं के लिए चार पद	
4.	मुख्य लेखाधिकारी	1 (एल-19)	राजस्थान लेखा सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
5.	उप विधि परामर्शी	1 (एल-18)	राजस्थान राज्य विधिक सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
अधीनस्थ सेवा				
6.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	2 (एल-10)	राजस्थान अधीनस्थ विधिक सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
7.	कनिष्ठ लेखाकार	1 (एल-10)	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
8.	विश्लेषक सह प्रोग्रामर	1 (एल-16)	राजस्थान राज्य कम्प्यूटर सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
9.	प्रोग्रामर	1 (एल-12)	राजस्थान राज्य कम्प्यूटर सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
10.	सहायक प्रोग्रामर	2 (एल-10)	राजस्थान अधीनस्थ कम्प्यूटर सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
11.	इन्फॉर्मेटिक्स सहायक	5 (एल-8)	राजस्थान अधीनस्थ कम्प्यूटर सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
12.	कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी	2 (एल-10)	राजस्थान अधीनस्थ वाणिज्यिक कर सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
13.	कर सहायक	2 (एल-8)	राजस्थान अधीनस्थ वाणिज्यिक कर सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा

14.	मोटर यान निरीक्षक	2 (एल-11)	राजस्थान अधीनस्थ परिवहन सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
15.	आबकारी निरीक्षक I और आबकारी निरीक्षक II	2 (एल-11/ एल-10)	राजस्थान अधीनस्थ आबकारी सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
16.	तहसीलदार	2 (एल-12)	राजस्थान तहसीलदार सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
17.	सहायक लेखाधिकारी गुप- I	1 (एल-12)	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
18.	निरीक्षक सहकारी I और निरीक्षक सहकारी II	1 (एल-11/ एल-10)	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
लिपिकवर्गीय सेवा				
19.	निजी सचिव	1 (एल-15)	लिपिकवर्गीय सेवा	
20.	निजी सहायक I/ II	4 (एल-11/ एल-10)	लिपिकवर्गीय सेवा	
21.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1 (एल-10)	लिपिकवर्गीय सेवा	
22.	वरिष्ठ सहायक	12 (एल-8)	लिपिकवर्गीय सेवा	
23.	कनिष्ठ सहायक	24 (एल-5)	लिपिकवर्गीय सेवा	
24.	चालक	10 (एल-5)		
25.	चपरासी	12 (एल-1)		

अनुसूची- II

(नियम 14 देखिए)

वेतन, पदोन्नति की शर्तें और सेवा की अन्य शर्तें

1. वेतनमान: अनुसूची- I में उल्लिखित पद पर नियुक्ति होने पर अधिकारी/पदधारी वही वेतन और वही ग्रेड वेतन आहरित करेगा/करेगी जो वह नियुक्ति (अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में) से ठीक पूर्व विद्यमान पद के लिए विहित वेतन मैट्रिक्स में के वेतन लेवल में आहरित कर रहा था/रही थी। वेतनवृद्धि की अगली तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2. विशेष भत्ता: अनुसूची- I के स्तम्भ 2 में उल्लिखित पदों पर नियुक्त समस्त अधिकारियों को राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय, राजस्थान में उनकी सेवावधि के दौरान मूल वेतन के 7% की दर से विशेष भत्ता संदत्त किया जायेगा।

3. मूल संवर्ग में पदोन्नति: ज्योंही किसी व्यक्ति को उसके मूल संवर्ग में के उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाये त्योंही उसे तुरन्त मूल विभाग में प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा, जब तक कि इन नियमों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नत पद पर उसके प्रतिधारण को अनुमोदित नहीं किया जाये।

4. पेंशन, भविष्य निधि आदि: यदि, इन नियमों के उपबंधों के अधीन संबंधित व्यक्ति पद धारित करने के दौरान सेवानिवृत्त हो जाये तो राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 45 के उपबंधों के अधीन पेंशन, उपदान आदि की संगणना के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा परिलब्धियां उन दरों पर ली जायेंगी, जिसका वह हकदार होता/होती यदि उसे इन नियमों के अधीन राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में नियुक्त नहीं किया जाता।

[सं. एफ. 5(1) डीओपी/ए-II/2026]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

डॉ. मुकुट बिहारी जांगिड़,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr. II)
NOTIFICATION
Jaipur, April 24, 2026

S.O.11 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules laying down the procedure for Special Selection and Special Conditions of Service for appointment of persons in the Directorate of Revenue Intelligence and Economic Offences (DoRIEO), Rajasthan, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of persons in the Directorate of Revenue Intelligence and Economic Offences) Rules, 2026.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Scope and Application. - These rules shall apply to the appointment of persons in the Directorate of Revenue Intelligence and Economic Offences (DoRIEO), Rajasthan.

3. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) **"Appointing Authority"** means the Government in the Department of Finance or such other officer to whom the power may be delegated by the Government with or without any condition;
- (b) **"Committee"** means the Committee referred to in rule 10;
- (c) **"Director General"** means the Director General of the Directorate of Revenue Intelligence and Economic Offences, Rajasthan;
- (d) **"Government"** means the Government of Rajasthan;
- (e) **"Record of Service"** means the Annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Reports, where maintenance of such record is prescribed and other relevant service record;
- (f) **"State"** means the State of Rajasthan;
- (g) **"Schedule"** means the Schedule appended to these rules; and
- (h) **"Year"** means the financial year.

4. Interpretation. - Unless the context otherwise requires the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. VIII of 1955) shall apply for the interpretation of these rules, as it applies for the Interpretation of a Rajasthan Act.

5. Composition, nature and strength of posts. - (1) There shall be three categories of posts as specified in Schedule-I to be held on tenure basis or as the Government may sanction from time to time.

(2) The strength of the posts of each category shall be such as specified in the schedule-I:

Provided that the Government may leave unfilled or hold in abeyance or abolish any post without thereby entitling any person to any compensation.

6. Determination of vacancies. - The Appointing Authority shall determine as soon as possible after 1st April every year, the number of vacancies anticipated to be filled in each category during the next twelve months or as and when such contingency arises.

7. Tenure. - (1) The posts enumerated in Schedule-I shall be held by an officer for a tenure ordinarily not exceeding three years which may be extended by the Appointing Authority for further term not exceeding one year at a time, but the total tenure shall not exceed five years in any case.

(2) All appointment to the posts as specified in Schedule-I shall, in the first instance, be on temporary transfer or deputation from the parent Department/ Service for a period of two years which may be extended for the period indicated by the Appointing Authority, from time to time, subject to the condition that such extension shall not be beyond the date of his/her retirement according to the condition of service of his/her parent department service. The officer so appointed shall not be reverted to the parent cadre or permitted to go to any other post before completion of tenure of two years. However, the Director General reserves the right to revert back any officer/employee so appointed under these rules before completion of such tenure period without assigning any reasons with the approval of the Secretary In-charge of the Finance Department.

(3) In case of reversion or transfer to parent department, the person so appointed shall not have any right to protection of Special Allowance or status held by him/her on the post in the Directorate of Revenue Intelligence and Economic Offences unless otherwise provided in these rules:

Provided that a person may on his/her will, resign or seek retirement according to the conditions of service of his/her parent department which shall not confer upon him/her any right other than those ordinarily admissible under the Rajasthan Service Rules, 1951.

8. Source of selection. - (1) Selection for appointment to the posts specified in column 2 of Schedule-I shall be deemed to be on transfer from respective department.

(2) Selection for appointment to the posts as specified in column 2 of Schedule-I after commencement of these rules shall be made on the recommendation of the Committee from amongst the member of the service mentioned in column 4 of Schedule-I and drawing pay in pay level in pay matrix as specified in column 3 of said Schedule and hold lien on the post or who have been appointed on regular basis on the post under the parent department of the Government of Rajasthan.

9. Eligibility for selection. - Only such persons shall be eligible for consideration for the various posts, who fulfil the conditions laid down in Schedule-I, on 1st April of the year in which they are considered.

10. Selection Committee. - Selection to the posts enumerated in Schedule-I shall be made on the recommendation of the Committee consisting of the following, namely: -

S.No.	Designation	Post in Committee
1.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary to the Government in the Finance Department.	Chairman

2.	Principal Secretary/ Secretary to the Government of the Department concerned.	Member
3.	Principal Secretary/ Secretary to the Government in the Department of Personnel or his nominee not below the rank of Deputy Secretary.	Member
4.	Secretary to the Government, Finance (Revenue) Department.	Member
5.	Director General, Directorate of Revenue Intelligence and Economic Offences.	Member Secretary

11. Criteria for Selection. - Selection shall be made by the Committee after an interview having regard to personality, character, Integrity, previous record of service, past experience in vigilance, revenue collection and prevention of revenue leakage or any other criteria of selection which Committee deems necessary.

12. Procedure for Selection. - (1) As soon as it is decided that selection is to be made to fill a certain number of vacant posts specified in column 2 of Schedule-I from amongst the member of the service mentioned in column 4 of Schedule-I, the Director General or such other officer to whom he may direct for this purpose, shall send a circular to all concerned departments for inviting applications from all eligible persons by a specified date. The recommendations in respect of the persons who are eligible for selection to the post as specified in column 2 of Schedule-I under the provisions of these rules along with the Annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Reports Dossiers and other Service record of the such persons, shall be forwarded by the concerned departments to the Director General.

(2) On receipt of recommendations under sub-rule (1) above, the Director General or the officer nominated by him, shall prepare a list of all the eligible candidates and shall place the same, along with the Annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Reports Dossiers and other Service record of the candidates whose names are included in the list, before the Committee.

(3) The Selection Committee shall select candidates equal to the number of vacancies likely to be filled in, in order of their merit and shall prepare a list containing names of the persons found suitable:

Provided that the Committee may, if suitable persons are available, keep on reserve list more candidates whose number shall not exceed 50% of the vacancies determined. The names of such candidates may be considered for appointment if such vacancies actually occur within six months from the date of selection.

(4) List prepared by the Selection Committee under sub-rule (3) above shall be sent to the Appointing Authority together with Annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Reports and other service records of all the candidates included in the list as also of those not selected, if any.

13. Order for tenure posting. - Order for tenure posting to the post as specified in column 2 of Schedule-I shall be made from amongst the persons included in the list prepared under sub-rule (3) of rule 12 above, by the Appointing Authority in the order of merit.

14. Pay and other Conditions. - (1) The scale of pay and initial pay admissible to a person appointed on the post as specified in column 2 of Schedule-I and other conditions relating to increase in pay on promotion in the parent cadre and retirement benefits shall be as laid down in Schedule-II and shall be such as may be sanctioned by the Government with the concurrence of the Finance Department, from time to time.

(2) Except as provided in these rules other service conditions to the post as specified in column 2 of Schedule-I shall be regulated by other rules applicable to the employees of the State Government made by the appropriate authority under the proviso to Article 309 of the Constitution of India and for the time being in force.

15. Induction of exceptionally deserving persons. - Notwithstanding anything contained in these rules, the Committee may propose induction of any person for appointment in the Directorate of Revenue Intelligence and Economic Offences, Rajasthan in exceptionally deserving cases for reasons to be recorded in writing.

16. Removal of Doubts. - If any doubt arises relating to the application, interpretation and scope of these rules, it shall be referred to the Government in the Department of Personnel whose decision thereon shall be final.

17. Repeal and Saving. - The Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of persons in the State Directorate of Revenue Intelligence) Rules, 2010 and all orders issued in relation to matters covered by these rules and in force immediately before commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any action taken under the rules or orders so repealed, shall be deemed to have been taken under the provisions of these rules so far as they are not inconsistent with the provisions of these rules.

SCHEDULE-I

(see rule 8, 10, 12 and 13)

S.No.	Name of the post	Number of post & Pay level as per the pay matrix	Eligibility	Minimum experience
1	2	3	4	5
STATE SERVICE				
1.	Additional Director	4 (L-20, 21)	One post for Rajasthan Administrative Service	Minimum 5 years service
			One post for Rajasthan Police Service	
			One post for Rajasthan Commercial Taxes Service (RCTS)	
			One post for Other State Services	
2.	Joint Director cum Revenue	10 (L-15 to	One post for Rajasthan Administrative Service	Minimum 5 years

	Intelligence Officer	L-19)	One post for Rajasthan Police Service	service
			One post for Rajasthan Commercial Taxes Service (RCTS)	
			One post for Rajasthan Excise Service	
			One post for Rajasthan Mining Engineer Service	
			One post for Rajasthan Accounts Service	
			One post for Rajasthan Cooperative Service	
			One post for Other State Services	
			Two post for Officers of Revenue, Banking and Insurance Services	
3.	Deputy Director cum Revenue Intelligence Officer	20 (L-11 to L-14)	Two post for Rajasthan Administrative service	Minimum 5 years service
			Two post for Rajasthan Police Service	
			Two post for Rajasthan Commercial Taxes Service (RCTS)	
			Two post for Rajasthan Excise Service	
			Two post for Rajasthan Mining Engineer Service	
			Two post for Rajasthan Accounts Service	
			Two post for Rajasthan Transport Service	
			Two post for Rajasthan Cooperative Service	
			Four post for Other State Services	
4.	Chief Accounts Officer	1 (L-19)	Rajasthan Accounts Service	Minimum 5 years service
5.	Deputy Legal Remembrance	1 (L-18)	Rajasthan State Legal Service	Minimum 5 years service
SUBORDINATE SERVICES				
6.	Junior Legal Officer	2 (L-10)	Rajasthan Subordinate Legal Service	Minimum 5 years service
7.	Junior Accountant	1 (L-10)	Rajasthan Subordinate Accounts Service	Minimum 5 years service
8.	Analyst-cum-Programmer	1 (L-16)	Rajasthan State Computer Service	Minimum 5 years service
9.	Programmer	1 (L-12)	Rajasthan State Computer Service	Minimum 5 years service
10.	Assistant Programmer	2 (L-10)	Rajasthan Subordinate Computer Service	Minimum 5 years service
11.	Informatics	5	Rajasthan Subordinate Computer	Minimum 5

	Assistant	(L-8)	Service	years service
12.	Junior Commercial Tax Officer	2 (L-10)	Rajasthan Subordinate Commercial Taxes Service	Minimum 5 years service
13.	Tax Assistant	2 (L-8)	Rajasthan Subordinate Commercial Taxes Service	Minimum 5 years service
14.	Motor Vehicle Inspector	2 (L-11)	Rajasthan Subordinate Transport Service	Minimum 5 years service
15.	Excise Inspector I and Excise Inspector II	2 (L-11/ L-10)	Rajasthan Subordinate Excise Service	Minimum 5 years service
16.	Tehsildar	2 (L-12)	Rajasthan Tehsildar Service	Minimum 5 years service
17.	Assistant Accounts Officer Gr.-I	1 (L-12)	Rajasthan Subordinate Accounts Service	Minimum 5 years service
18.	Inspector Co-operative I and Inspector Co-operative II	1 (L-11/ L-10)	Rajasthan Subordinate Co-operative Service	Minimum 5 years service
MINISTERIAL SERVICE				
19.	Private Secretary	1 (L-15)	Ministerial Service	
20.	Personal Assistant I/II	4 (L-11/ L-10)	Ministerial Service	
21.	Assistant Administrative Officer	1 (L-10)	Ministerial Service	
22.	Senior Assistant	12 (L-8)	Ministerial Service	
23.	Junior Assistant	24 (L-5)	Ministerial Service	
24.	Driver	10 (L-5)		
25.	Peon	12 (L-1)		

SCHEDULE - II

(see rule 14)

Conditions of pay, promotion and other conditions of service

1. **Scale of pay:** On appointment to the post mentioned in Schedule-I, the Officer/Official shall draw the same pay and the same grade pay, which he/she was drawing immediately before appointment (in the substantive or officiating capacity) in the pay level in pay matrix prescribed for the existing post. The next date of increment shall remain unchanged.

2. **Special Allowance:** All officers appointed on the posts mentioned in column 2 of Schedule-I, shall be paid special allowance at the rate of 7% of the basic pay during their tenure in the Directorate of Revenue Intelligence and Economic Offences, Rajasthan.
3. **Promotion in the Parent Cadre:** As soon as the person is promoted in his parent cadre on a higher post, he shall be reverted back to the parent department immediately unless his/her retention on the promoted post is approved by the Appointing Authority under these rules.
4. **Pension, Provident Fund etc:** If the persons concerned retires while holding the post under the provisions of these rules, his/her emoluments for the purpose of calculating Pension, Gratuity etc. under the provisions of rule 45 of the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996 shall be taken at the rates what he/she would have been entitled to had he/she not been appointed in the Directorate of Revenue Intelligence & Economic Offences under these rules.

[No. F.5(1)DoP/A-II/2026]

**By Order and in the name of the Governor,
DR. MUKUT BIHARI JANGID,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

Government Central Press, Jaipur.